भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1878

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना**

**1878 श्री विजय पाल सिंह तोमर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के काफी संख्या में मामले लंबित हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर मेरठ में उच्च न्यायालय की पीठ की अनुपलब्धता के कारण लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग) :** जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिट याचिका (सिविल) सं. 2000 का 379 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाने गये निर्णय के अनुसरण में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ (पीठों) की स्थापना सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अवसंरचना का उपबंध करने और व्यय को चुकाने के लिए तैयारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सम्पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक् विचार करने पश्चात् की जाती है, जिसे दिन-प्रतिदिन उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ के प्रशासन के देखभाल के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्रस्ताव पर सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई सम्पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*